न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 03/2023

उनवान

1. शारदा देवी पत्नी श्री ताराचन्द खोवाल, जाति बलाई, निवासी अमरसर, तहसील शाहपुरा जिला–जयपुर राज

बनाम

– प्रार्थीया

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला–जयपुर राज.
2 नायब तहसीलदार उपतहसील अमरसर जिला जयपुर राज.
3 अशोक कुमार पुत्र मोहन लाल रैगर, जाति रैगर, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, हरमाडा, जिला जयपुर राज.
4. ओमप्रकाश पुत्र रिछपाल (फौत)
4/1 श्रवण कुमार पुत्र स्व. ओमप्रकाश, जाति–बलाई
4/2 नितिन कुमार पुत्र स्व. ओमप्रकाश, जाति–बलाई
4/3 मैना पुत्री स्व. ओमप्रकाश, जाति–बलाई
5 बंशीधर पुत्र रिछपाल, जाति बलाई
6. ममता देवी पत्नी श्रवण कुमार, जाति बलाई
7. सुनीता बुनकर पत्नी नितिन कुमार, जाति बलाई
8 नन्छी देवी पत्नी गुलाबचन्द, जाति माली
9 कल्याण पुत्र भगवान, जाति माली,
समस्त व्यस्क, समस्त निवासी अमरसर, जिला जयपुर राज.

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

–अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 01/07/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थीया के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि हाल आराजी ख0 न0 773/0.80 है0 वाकै ग्राम पठानो का बास, अमरसर तह0 शाहपुरा जयपुर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर कब्जा कास्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी ख0 न0 773 भूमि वाकै ग्राम पठानो का बास, अमरसर तह0 शाहपुरा जयपुर का उपतहसीलदार अमरसर के आदेश कमांक/भू0अ0/2022/2355 दिनांक 19.10.2022 की पालना में दिनांक 02.11.2022 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 29.03.2023 को अप्रार्थी सं0 03 की तामिल हो चुकी है लेकिन उपस्थित नही। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

सं0 04 का फौत होना जाहिर किया । वकील प्रार्थी द्वारा कायम मुकामान का प्रा0 पत्र पेश किया गया। दिनांक 27.07.2023 को वकील प्रार्थी को कायम मुकामान के प्रा0 पत्र पर सुना गया। बहस पर मनन किया गया। न्यायहित में उक्त प्रा0 पत्र स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी ने संशोधित टाईटल पेश किया गया। दिनांक 22.09.2023 को अप्रार्थी सं0 4/1 लगायत 4/3 एवं 6 तथा 7 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र यादव ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी सं0 3, 8, 9 की पूर्व में तामिल हो चुकी है लेकिन कोई उपस्थित नही आये। वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 4/1 लगायत 4/3, 06 एवं 07 की ओर से आदेशिक में नोट प्रेस किया गया । अप्रार्थी सं0 4/1 लगायत 4/3, 06 एवं 07 की तलबी जरिये अदालती सम्मन से करवाई गयी लेकिन कोई उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं शेष अप्रार्थीगण बाद तामिल व सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 02.11.2022 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी ख0 न0 773/0.80 है0 वाके ग्राम पठानो का बास, अमरसर तह0 शाहपुरा जयपुर के प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 02.11.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/07/24 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर